

फर्द अहकाम

(नियम 26)

त 3 परवण्ड अधिकारी... सिकराय.....

सरकार बनाम ... जगन ... बनाम सरकार

दमा ... 4191)..... मु० नं० ... 93/19.....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगन द्वारा अपने दावे में यह स्वीकार किया है कि पूर्व में उनके द्वारा आपसी सहमती से विभाजन किया था। अब वे लोग उक्त विभाजन से असन्तुष्ट हैं जिसे वादीगन उक्त विभाजन के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में धारा 30A के तहत उच्चार उपलब्ध है तथा चाही गई रिजिफ अन्तर्गत धारा 136 LRA का तहत देखा जा रही है।</p> <p>अतः दावा वादीगन खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से रुम हो। निरिध मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>31 22/11/2020 उपरवण्ड अधिकारी सिकराय जिला-दीसा</p>	

